एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
	28.11.2023		डब्ल्यू. पी. एस. बी. सं. 522 सन 2023 **माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.** **माननीय राकेश थपलियाल, जे.** सुश्री ममता आर्य, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्रभा नैथानी का ब्रीफ लेते हुए। श्री पी. एस. बिष्ट, राज्य की ओर से संक्षिप्त धारक। याचिकाकर्ता, जिसे 1992 में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, अंततः विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत होने के बाद, 2013 में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत और तैनात किया गया था। इस तथ्य के कारण कि वह "लम्पी स्किन डिजीज" नामक बीमारी का प्रबंधन करने में असमर्थ थे, उनका प्रारंभिक ग्रेड जो 7 दिया गया था उसे घटाकर 3 कर दिया गया क्योंकि इससे विभाग पर कलंक लगा था। इस डाउनग्रेडेशन के आधार पर, याचिकाकर्ता को पत्र संख्या 56788/XV-12023-7 (13) 2022 दिनांक 20.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से उसकी उपरोक्त बीमारी को नियंत्रित करने में उनकी निष्क्रियता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त पत्र का जवाब दिया और 22.07.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और विभागीय कार्यवाही अभी भी चल रही है और अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस पूर्वानुमान के तहत कि विभागीय कार्यवाही अभी भी जारी रहने के कारण उन्हें अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने से वंचित किया जा

			सकता है, उन्होंने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें परमादेश की रिट की मांग की गई है, जिसमें उत्तरदाताओं को आदेश दिया गया है कि ग्रेड 3 में उनका डाउनग्रेडेशन, अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। यद्यपि रिट याचिका के पैरा 8 में उठाई गई दलील के अनुसार यह रिट याचिका अपरिपक्व है, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका को दूर करने के लिए, इस रिट याचिका का निपटान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***1991 (4) एससीसी 109, भारत संघ बनाम जानकी रमन*** के फैसले के आलोक में किया जा रहा है जिसमें, यह प्रावधान किया गया है कि कार्यवाही के दौरान जब कोई उम्मीदवार अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा हो और किसी भी संभावित पदोन्नति अभ्यास के कारण जो विभाग द्वारा किया गया हो या लिया जा सकता हो, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है और उन परिस्थितियों में, पदोन्नति अभ्यास शुरू करना होगा और परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखना होगा जो पदोन्नति अभ्यास के पूरा होने के बाद खोला जाएगा। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि यदि अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कोई डीपीसी आयोजित की जाती है, तो याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जिसका निर्णय विभागीय जांच समिति का परिणाम, जिसे 20.06.2023 को गठित किया गया है, जो माना जाता है कि अभी तक विचाराधीन है और इस तरह कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उपरोक्त के अधीन, रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है। **(राकेश थपलियाल, जे.) (शरद कुमार शर्मा, जे.)** 28.11.2023 महिंदर /